न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 17.02.2020

जरिये रामभजन मीणा प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

श्री पारस जैन पुत्र रमेश चन्द जैन मै0 कंटान मिष्ठान भण्डार बडा कुऑ टोंक शहर
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस एक रबर पाईप मय रेगुलेटर व एक लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार —प्रार्थी की ओर से
2— श्री कैलाष अहूलवालिया, अभिभाषक —अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 07.02.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में दिनांक 09.01.2020 को समय 1.20 पीएम पर में प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन निरीक्षकगण के साथ मैसर्स कंटान मिष्ठान भण्डार, बडा कुऑ टोंक शहर पर घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु मौके पर पहुचे। मौके पर दुकान / गौदाम की तलाशी ली गई जिसमें 4 घरेलू 14.2 KG के क्षमता के सिलेण्डर पाये गये जिसमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर से जोडकर रबर पाईप से लोहे की भट्टी में लगा हुआ पाया गया। मौके पर व्यवसायी श्री पारस जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से लोहे की भट्टी पर मिठाई / नमकीन

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

इत्यादि बनाने में पर्युक्त किये जाने के कारण पाये गये 4 सिलेण्डरों को एलपीजी आदेश 2000 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है :–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	521322	(IOC)	14.2 k.g.	15.4	22.9	7.5
02	602628	(BPC)	14.2 k.g.	15.8	15.8	0
03	861938	(BPC)	14.2 k.g.	15.4	15.4	0
04	432959	(IOC)	14.2 k.g.	15.5	29	13.5
	Total					21 KG

व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21 KG एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी की मिठाई की दुकान व रिहाईशी मकान सयुक्त रूप से एक ही परिसर में है। जिसमें उसके पिता व माता भी निवास करते है तथा उसी के तीन चौथाई हिस्से में प्रार्थी का व्यवसायिक संस्थान संचालित हो रहा है। प्रार्थी के पास अपने व्यवसाय संस्थान को संचालित करने में काफी जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए आवास व्यवसायिक संस्थान का आपस मे एक दूसरे का सामान आ जाना लगभग नियमित सा है एवं इसी कारण प्रार्थी के आवासीय काम का चूल्हा भट्टी व गैस सिलेन्डर व अन्दर आवासीय परिसर में रखने में परेशानी होती है,वे व्यवसायिक संस्थान में भी रख दिये जाते है। इसी क्रम में दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी के कुछ सामाजिक कार्य हेतु कुछ लोग आये हुए थे जिनका भोजन आदि बन रहा था एवं उसी क्रम में उक्त दिन प्रार्थी स्वयं के गैस कनेक्शन व उसके पिताजी के गैस कनेक्शन के घरेलू सिलेन्डर उक्त कार्य हेतु उपयोग में लिये जा रहे थे। जो उस स्थिति में व्यवसायिक संस्थान के परिसर में होने के कारण जांचकर्ता प्रर्वतन अधिकारी जी को इस बाबत निवेदन करने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थी की कोई सुनवाई नही कि और कहा कि हम तो इसका चालान करेंगे

जिला कलेक्टर
टोंक

आप कोर्ट से इन्हें छुडवा ले। उक्त प्रकरण की कार्यवाही निरीक्षक महोदय ने कर दी तथा प्रार्थी व उसके पिता के घरेलू उपयोग सिलेन्डर तथा उक्त काम में आ ही घरेलू गैस भट्टी उसमे काम में आने वाला सामान रेगुलेर रबर पाईप आदि जब्त कर अपने साथ लेकर चले गये तथा प्रार्थी एवं वहॉ मोजूद किसी भी व्यक्ति की कोई सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने किसी प्रकार कोई नियम का उल्लघन नहीं किया है। प्रार्थी के पास निवासी एवं व्यवसायिक संस्थान हेतु अलग अलग परिसर ना होने के कारण तथा परिवारिक काम होने की वजह से उक्त सामान आवासीय परिसर के आहते से व्यवसायिक परिसर, जो कि लगभग एक है एवं जुडे हुए है में मजबूरीवश रखने में आया है,जिस पर निरीक्षक महोदय ने कोई ध्यान नही दिया और उक्त सामान को सुनवाई का मोका ना देते हुए जप्त कर अपने साथ ले गये। जिस कारण धारा 6ए की कार्यवाही अमल में लाई गई है जो कतई गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है प्रार्थी ने ना तो किसी नियम का उल्लंघन किया है और ना ही उक्त घरेलू गैस सिलेन्डर का व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में दिनांक 09.01.2020 को समय 1.20 पीएम पर में प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षकगण के साथ मैसर्स कंटान मिष्ठान भण्डार, बडा कुऑ टोंक शहर पर घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु मौके पर पहुचे। मौके पर दुकान/गौदाम की तलाशी ली गई जिसमें 4 घरेलू 14.2 KG के क्षमता के सिलेण्डर पाये गये जिसमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर से जोडकर रबर पाईप से लोहे की भट्टी में लगा हुआ पाया गया। मौके पर व्यवसायी श्री पारस जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से लोहे की भट्टी पर मिठाई/नमकीन इत्यादि बनाने में पर्युक्त किये जाने के कारण पाये गये 4 सिलेण्डरों को एलपीजी आदेश 2000 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त किया गया।

व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारण कर व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग कर दुरूपयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21 KG एलपीजी गैस रवर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री किशोर कुमार पुत्र श्री

कलेक्टर राजस्थान

जिला कलेक्टर
टोंक

छोटूराम को की सपुदगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21 KG एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 09.01.2020 के अनुसार मैसर्स कंटान मिष्ठान भण्डार, बडा कुऑ टोंक के मकान/गोदाम की तलाशी/निरीक्षण करने पर मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरो को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण कर व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने मे ईंधन के रूप मे प्रयोग कर दुरूपयोग किये जाने पर उनको जब्त किया गया। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	521322	(IOC)	14.2 k.g.	15.4	22.9	7.5
02	602628	(BPC)	14.2 k.g.	15.8	15.8	0
03	861938	(BPC)	14.2 k.g.	15.4	15.4	0
04	432959	(IOC)	14.2 k.g.	15.5	29	13.5
	Total					21 KG

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर पारस चन्द जैन, किशोर तथा कैलाश के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी किशोर, कैलाश व पारस चन्द जैन के हस्ताक्षर है तथा किशोर कुमार प्रतिनिधि टोक गैस एजेन्सी के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के 4 गैस सिलेण्डरो को जब्त किया गया है,जबकि उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी के परिवार वालो के ही थे,परन्तु इस कथन कि तायद मे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से लोहे की भट्टी पर मिठाई/नमकीन इत्यादि बनाने में पर्युक्त किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 21 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देषित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक